

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/Others./27433/2017

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	बस्तर नेट प्रोजेक्ट हेतु बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र बेनूर एवं नारायणपुर परिक्षेत्र में लगभग 45.06 कि.मी. लम्बाई पर आष्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कोण्डागांव से नारायणपुर मार्ग के किनारे की आरक्षित वन संरक्षित वन एवं ऑरेंज एरिया वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु कुल रकबा 0.854 हे० प्रभावित होती है जो न्यूनतम है।
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii.	जिला	नारायणपुर
iii.	वन प्रभाग	नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर के परिक्षेत्र बेनूर/परिक्षेत्र नारायणपुर
iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	निरंक
v.	वन की कानूनी स्थिति	
	(क) सीमांकित संरक्षित वन	0.199
	(ख) सीमांकित आरक्षित वन	0.307
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	0.230
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र	0.118
	योग :-	0.854
vi.	हरियाली का घनत्व	लागू नहीं
vii.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	लागू नहीं
viii.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	लागू नहीं
ix.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वन क्षेत्र से लगा हुआ।
x.	कयो फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं है
xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं

	xii	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	बस्तर नेट प्रोजेक्ट हेतु बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर वन मण्डल के आवेदित वन भूमि के अंतर्गत कोई भी सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है।
8		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
1		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	लागू नहीं है
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
	iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	लागू नहीं है
	iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	लागू नहीं है
	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	लागू नहीं है
1		ज़िला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट	
1		विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	
12		विभाग/जिला प्रोफाइल	
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3165.882 वर्ग कि०मी०
	ii.	जिले का वनक्षेत्र	
		आरक्षित वन	75856.850 हेक्टेयर
		संरक्षित वन	28089.87 हेक्टेयर
		असीमांकित वन	10921.920 हेक्टेयर
		योग :-	114868.64 हेक्टेयर

iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	लागू नहीं है
iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	0.736 हे०
	क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	-
	ख. वनेत्तर भूमि पर ।	-
v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
	क. वनभूमि।	0.736 हे०
	ख. वनेत्तर-भूमि पर	0.736 हे०
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	बस्तर नेट प्रोजेक्ट हेतु बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र बेनूर एवं नारायणपुर परिक्षेत्र में लगभग 45.06 कि.मी. लम्बाई पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कोण्डागांव से नारायणपुर मार्ग के किनारे की ऑरेंज एरिया वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु कुल रकबा 0.854 हे० प्रभावित होती है जो न्यूनतम है।

दिनांक : 09/01/2018

स्थान : नारायणपुर

वनमण्डलाधिकारी,
नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर